फर्द अहकाम

सोमनाथ बनाम उमरावसा

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 104/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/01/24 को पेश हो।
	30/1/24	~~पत्रावली पेश हुई। [illegible]~~ [illegible] 20/2/24 [illegible]
	20/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हो।
	26/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/5/24 को पेश हो।
	27/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] आज [illegible] अधिवक्ता कार्य [illegible] साहब अन्य [illegible] पूर्वानुसार ... 24/6/24 ...
	24/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी [illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:21:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर द्वितीय ([illegible]गानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 104/2021
निर्णय दिनांक : 24.06.2024

1. सोमनाथ पुत्र खुशीराम (मृतक दौराने वाद)
1/1. अंकित सिंघल पुत्र राजेन्द्र कुमार सिंघल
1/2. दीपेश सिंघल पुत्र राजेन्द्र कुमार सिंघल, समस्त जाति अग्रवाल, निवासीगण 2–एफ–13, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान ।
1/3. आकाश सिंघल पुत्र विद्यासागर सिंघल, जाति अग्रवाल, निवासी 7/103, विद्याधर नगर, जयपुर
2. मदनमोहन पुत्र खुशीराम, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर 66, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, तहसील व जिला जयपुर।
3. रामप्रकाश पुत्र खुशीराम, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर बी–70, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, तहसील व जिला जयपुर।
4. अशोक कुमार पुत्र खुशीराम, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी 2–एफ–12, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान ।
5. श्रीमति बीना रानी पत्नी दीनदयाल (नाम हजफ)
6. सौरभ पुत्र स्व. श्री दीनदयाल, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर 8/13, विद्याधर नगर, तहसील व जिला जयपुर।
7. मनमोहन सिंघल पुत्र ओमप्रकाश, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर 3/53, विद्याधर नगर, तहसील व जिला जयपुर।
8. अनिल सिंघल पुत्र ओमप्रकाश, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर 7/59, विद्याधर नगर, तहसील व जिला जयपुर।
9. अशोक कुमार पुत्र शंकरदास, जाति महाजन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर बी–160, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, तहसील व जिला जयपुर।

.. प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible]रसा पुत्र रघुनाथ (नाम हजफ)
2. अशोक पुत्र रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजू पुत्र रघुनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.... अप्रार्थीगण

4. कालू पुत्र चन्दा, जाति माली, निवासी ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार वाया फोर्ट, तहसील [illegible] जिला जयपुर।

.... तरतीबी अधिकारीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:21:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि०

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का विवरण इस प्रकार है कि पालडी मीणा, तहसील सांगानेर स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा के रघुनाथ वल्द अर्जुन 1/2 भाग के व कालू पुत्र रामचन्द्र 1/2 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। उक्त रघुनाथ पुत्र अर्जुन की मृत्यु हो गई उसके बाद उसके 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार उसके पुत्र ग्यारसा, अशोक व राजू पुत्रान् रघुनाथ विपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 हुए। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 103 रकबा 0.6 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89/940 रकबा 0.5 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 95 रकबा 3 बिस्वा के नये नम्बर 89/839 रकबा 0.3 हैक्टेयर बने। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 94 व खसरा नम्बर 95 को प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1974 क्रय कर ली और विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 व प्रार्थी नम्बर 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 31.8.1974 राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया। इस तरह प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है। यद्यपि नामान्तकरण नम्बर 64 के द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने के बाद उसके बाद बनने वाले राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण नामान्तकरण नम्बर 64 के तस्दीक होने के पश्चात् बनने वाली जमाबन्दी में अंकित नही किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आज भी राजस्व रिकार्ड में विपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 का नाम अंकित चला आ रहा है, जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी हकतलफी हो रही है। तहसील सांगानेर का जो वर्तमान भू–प्रबन्ध कार्य सम्पन्न हुआ है, उसके दौरान भी राजस्व रिकार्ड में इसी गलती को दौहरा दिया गया, जिसके कारण वर्तनाम राजस्व रिकार्ड में भी विपक्षीगण 1 लगायत 3 का नाम अंकित हो गया है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को ग्यारसा, अशोक व राजू पुत्रान रघुनाथ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय क्रय किया है और उनका नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 31.08.1974 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण इस नामान्तकरण का उल्लेख राजस्व अभिलेख में नही हो सका। राजस्व कर्मचारियो द्वारा गई उक्त गलती के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही हुआ है। इस प्रकार की गलती तकनीकी गलती है, जिसे किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है और न्यायालय इस प्रकार की गलती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम दुरूस्त करने के लिए सक्षम है। न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2013 के आधार पर सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया जा[illegible]

अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] निवेदन है [illegible] प्रा[illegible] पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 [illegible] 89/840 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 89/839 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर में ग्यारसा, अशोक, राजू पुत्रान र[illegible]थ के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:21:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण अनुपस्थि। बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पत्रावली में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89/840 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 89/839 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर में ग्यारसा, अशोक, राजू पुत्रान रघुनाथ के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 94 व खसरा नम्बर 95 को प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.07.1974 क्रय कर ली और विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 व प्रार्थी नम्बर 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 31.8.1974 राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया। इस तरह प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है। यद्यपि नामान्तकरण नम्बर 64 के द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने के बाद उसके बाद बनने वाले राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना चाहिए था। इसिलये प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89/840 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 89/839 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर में ग्यारसा, अशोक, राजू पुत्रान रघुनाथ के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:21:46 IST
Reason: SelfAttested